


फर्द अहकाम

बचनवानी रामहरि पुत्र मोतीलाल बनाम शंकर लाल पुत्र केसरलाल माली नि.आलनुर व अन्य
 किस्म प्रकरण- निगरानी प्रकरण संख्या 06/2020 (RCMS NO 2020/00017)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./सा. अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
3.2.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं रेस्पों. संख्या 16-17 की ओर से श्री अमित बंसल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल भिसल किये गये। वकील रेस्पों. संख्या 16 व 17 द्वारा कथन किया कि उनवानी निगरानी प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद सवाईमाधोपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 28/12-13 पारित आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 6.1.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसको सुनवायी का क्षेत्राधिकार वर्तमान में माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर को है कथन के समर्थन में अधिसूचना क्र.प.3(50) नविवि/3/2012 दिनांक 20.4.2017 की प्रति प्रस्तुत की गयी है। वकील रेस्पों. की ओर से प्रस्तुत अधिसूचना का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.3(50)3/2012/दिनांक 7.10.2014 को अधिकमित करते हुए उक्त अधिसूचना में संशोधित करते हुए समस्त नगर सुधार न्यासो/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90क के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निरस्तारण हेतु जिला कलेक्टर के स्थान पर संबंधित सम्भागीय आयुक्त का अधिकृत किया गया है तथा स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डी.एल.बी./15/5843-6274 दिनांक 10.6.2016 में उक्त प्रकृति के प्रकरण को सुनवायी का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त महोदय को दिया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन पर बोर्ड टिप्पणी/आपत्ति नहीं की गयी है।</p> <p>वकील उभय पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत अधिसूचना का अवलोकन करने के उपरान्त उनवानी निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण उक्त निगरानी को माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर प्रस्तुत निगरानी को आगामी सुनवायी हेतु न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय में आगामी सुनवायी हेतु भिजवाया जाकर इस न्यायालय की दर्ज पंजीका में नम्बर से कम की जावे। वकील उभयपक्षों/पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि आगामी सुनवायी हेतु दिनांक 24.3.2020 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर (कैम्प कोर्ट स0मा0) के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p align="right">  (डॉ०एस०पी०सिंह) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p>	

